Rehabilitation Council of India (RCI) Sc-301
TOPIC- RCI act, 1992, SEM-3
भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

Camlin Page
Date 23/12/2020

RCI act को एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। सितम्बर, 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया तथा उस के अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद् एक सांविधिक निकाय के रूप में 22 जून, 1993 को अस्तित्व में आई। इस अधिनियम को और अधिक व्यापक बनाने के लिए संसद द्वारा वर्ष 2000 में संशोधन किया गया।

RCI के उद्देश्य

- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों तथा कार्यक्रमों को विनियमित करना
- दिव्यांग व्यक्तियों से सम्बन्धित व्यावसायिक कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना
- निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातक डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा / प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं व विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना
- भारत तथा विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना
- व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को मनश्चिकित्सा विकास केन्द्र के रूप में मान्यता देना। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत